

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

प्रासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
करण संख्या:-108/2023

तारीख दायर:-11.08.2023
तारीख निर्णय:-10.06.2025

1. श्रीमती अमृतीदेवी पत्नी वेणीचन्द भट्ट निवासी मगवास तहसील झाडोल।
2. श्री बालकृष्ण पिता वेणीराम भट्ट निवासी मगवास तहसील झाडोल।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री तुलसीराम पिता सवाराम भट्ट निवासी मगवास तहसील झाडोल।
2. श्री दुर्गाशंकर पिता सुखलाल सुथार निवासी मगवास तहसील झाडोल।
3. श्री अशोक कुमार पिता भंवरलाल सुथार निवासी मगवास तहसील झाडोल।
4. श्री नाथुलाल पिता भंवरलाल सुथार निवासी मगवास तहसील झाडोल।
5. श्री हीरालाल पिता दल्ला सुथार निवासी मगवास तहसील झाडोल।
6. श्री गल्ला पिता भैरा त्रिवेदी निवासी खाखड तहसील झाडोल।
7. श्री देवनारायण पिता पन्नालाल जोशी निवासी मगवास तहसील झाडोल।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.


पस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री जसवन्तसिंह झाला

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा मगवास पटवार त्र मगवास तहसील झाडोल में आराजी नम्बर 95, 96 किता 02 कुल रकबा 0.4600, आराजी नम्बर 149, 44, 51, 52, 58, 71 किता 06 कुल रकबा 0.3100 है0 एवं आराजी नम्बर 3198, 893 किता 02 कुल रकबा 0.1500 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा मगवास पटवार क्षेत्र मगवास तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 95, 96 किता 02 कुल रकबा 0.4600, आराजी नम्बर 149, 44, 51, 52, 58, 71 किता 06 कुल रकबा 0.3100 है0 एवं आराजी नम्बर 3198, 893 किता 02 कुल रकबा 0.1500 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक


उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

का बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र में उक्त किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार जा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार जा जाता है एवं मौजा मगवास पटवार क्षेत्र मगवास तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 95, 96 तथा 02 कुल रकबा 0.4600, आराजी नम्बर 149, 44, 51, 52, 58, 71 किता 06 कुल रकबा 0.1500 हैं एवं आराजी नम्बर 3198, 893 किता 02 कुल रकबा 0.1500 हैं भूमि की मौके पर कब्जे विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष को पालना हेतु तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर ब्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जा

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला उदयपुर